केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/317 दिनांक: 19.12.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00214
CICOM/R/2019/00543

अपीलकर्ता : श्री शमीमुल इस्लाम सिद्दीकी,
386/127/23-सी, चकदोंदी,
जेल रोड नैनी, इलाहाबाद ।
मो0 - 8299228654.

निर्णय की तारीख: 19.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.07.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	25.07.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.12.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	20184/11.12.2019

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित की गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.07.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 30.05.2019 को 11.45 बजे सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा के कार्यालय में हुई द्वितीय अपील की सुनवाई की विडियो रिकार्डिंग की मांग की गई थी ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00543 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है । प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि "केन्द्रीय सूचना आयोग में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से होने वाली सुनवाई की विडियो रिकार्डिंग नहीं की जाती है, अत: विडियो रिकार्डिंग की क्लिप प्रदान करना संभव नहीं है" ।

प्रथम अपील की सुनवाई:

3. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 8299228654 पर अपीलकर्ता की दिनांक 19.12.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई की गई ।

निष्कर्ष एवं निर्णय:

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) तथा दिए गए मोबाइल नं. 8299228654 पर अपीलकर्ता को सुनने के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

C. I. C. /के. सू. आ.
RECEIVED
19 DEC 2019
D. No.......
Initials.......

---2/-

5. तद्नुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

19.12.19

(योगेश कुमार सिंघल)
संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

19/12/19